रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 623] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 13, 2017/आषाढ़ 22, 1939
No. 623] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 13, 2017/ASADHA 22, 1939

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2017

सा.का.नि. 873(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरों (सहायक उप-निरीक्षक) भर्ती नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (नागर विमानन मंत्रालय) में उप विमानन सुरक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागर विमानन मंत्रालय, (नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो) उप विमानन सुरक्षा अधिकारी, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2017 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर :-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि –** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त / पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :-** वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति:-** जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है , वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्तिः-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनूसुची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है अथवा गैर-चयन पद।	सीधी भर्ती के लिए आयु -सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप विमानन सुरक्षा अधिकारी	81* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा , समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4	चयन	लागू नहीं होता ।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं ।	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं अन्य शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति पर भी लागू होंगी ।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो ।	सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या समावेशन द्वारा भर्ती की प्रक्रिया तथा विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत ।	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या समावेशन द्वारा भर्ती होने की स्थिति में किस ग्रेड से पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या समावेशन किया जाए ।
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	(i) 10% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । (ii) 90% प्रतिनियुक्ति द्वारा । **[टिप्पण :** विद्यमान काडर के कर्मचारियों के वृत्तिक विकास के लिए 10 % पदों का प्रावधान प्रोन्नति के रूप में किया गया है, जिन्हें पोषक प्रवर्ग के अंतिम पदधारी के अगले उच्च प्रवर्ग में प्रोन्नत होने तक	**प्रोन्नति:** ऐसे वरिष्ठ विमानन सुरक्षा सहायक, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 3 में श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो । **प्रतिनियुक्ति -:**केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या केन्द्रीय पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी, जो :- i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 3 श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो ।

			रखा जाएगा । इसके बाद इन पदों को 100% प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा ।	**शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव:-** (क) किसी मान्यता विश्वविधालय से डिग्री या समकक्ष । (ख) किसी पुलिस बल या सुरक्षा या आसूचना विभाग में तीन वर्ष का अनुभव । **टिप्पण:1** प्रतिनियुक्ति, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति बनाई गई है, तो उसकी रचना किस प्रकार की है ।	भर्ती करते समय किन स्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से विचार विमर्श किया जाये ।
(12)	**(13)**
समूह 'ग ' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे :- (i) उप महानिदेशक , नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (ना.वि.सु.ब्यु-) - अध्यक्ष (ii) संयुक्त निदेशक (प्रशासन), नागर विमानन सुरक्षा ब्युरों - सदस्य (iii) उप-निदेशक , नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरों - सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए.वी.-13029/001/2009-ए.एस.]

उषा पाढी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2017

G.S.R. 873(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Civil Aviation, Bureau of Civil Aviation Security (Assistant Sub-Inspector) Recruitment Rules 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Aviation Security Officer in the Bureau of Civil Aviation Security (Ministry of Civil Aviation), namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Ministry of Civil Aviation (Bureau of Civil Aviation Security), Deputy Aviation Security Officer, Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and Level in Pay Matrix.**– The number of said posts, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.**– The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** - No person,-

a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, the Ex-Serviceman, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of post(s)**	**Classification**	**Level in the Pay Matrix**	**Whether selection or non-selection post**	**Age limit for direct recruits**	**Educational and other qualifications required for direct recruits**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Deputy Aviation Security Officer.	81* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 4 of the pay matrix.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods**	**In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made**	**If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition**
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable.	Not applicable.	(i) 10% by promotion, failing which by deputation.	**Promotion:** Senior Aviation Security Assistant in Level 3 in the Pay Matrix with five years regular service in	Group 'C' Departmental promotion Committee(for considering promotion) consisting of :-

		(ii) 90% by deputation. [**Note:** 10% posts are provided as promotional avenue for career progression of existing cadre employees and will remain till the last incumbent in the feeder grade is promoted to the next higher grade. Thereafter, these posts will be covered under 100% deputation.]	the grade. **Deputation**: Officers from the Central Government or State Government or Union territories or Central Police Organisations:- (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or; (ii) 05 Years regular service in Level 3 in the pay matrix. Educational qualification and Experience:- (a) Degree from recognised university or equivalent. (b) Three years experience in the field in Police or security or intelligence. **Note 1:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment on deputation shall not be exceeding 56 years as on closing date of applications.	(1) Deputy Director General, Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) -Chairman (2) Joint Director (Administration), Bureau of Civil Aviation Security -Member (3) Deputy Director Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) - Member.

[F. No. AV-13029/001/2009-AS]

USHA PADHEE, Jt. Secy.